रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D(D.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 8, 1977/आश्विन 16, 1899
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY OCTOBER 8, 1977/ASVINA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1977

सा० का० नि० 1319.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम 1972 में (जिसे उसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. प्रतिधारक फीस और भत्ते :—(1) नियम 5 में वर्णित कर्तव्यों के अनुपालन के लिए, किसी विधि अधिकारी को निम्नलिखित संदत्त किया जाएगा—

(क) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, प्रतिधारण फीस,

(i) भारत के महान्यायवादी के मामले में, प्रतिमास चार हजार रुपये;

(ii) भारत के महासालिसिटर के मामले में, प्रतिमास तीन हजार और पांच सौ रुपये; और

(iii) भारत के अपर महासालिसिटर के मामले में, प्रति मास तीन हजार रुपये ।

(ख) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, प्रतिमास एक सौ रुपये कार्यालय-भत्ता ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने और अन्य कार्य के लिए निम्नलिखित माप-मान के अनुसार फीस; अर्थात्

(i)	वाद, रिट याचिकाएं, अपीलें और अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश	प्रति मामला प्रतिदिन 800 रु०
(ii)	विशेष इजाजत याचिकाएं और अन्य आवेदन	प्रति मामला प्रतिदिन 600 रु०
(iii)	अभिवचनों का (जिसमें शपथ पत्र भी हैं) तय करना	प्रति अभिवचन 400 रु०
(iv)	मामलों का कथन तय करना	प्रति मामला 600 रु०

स्पष्टीकरण :—यदि दो या अधिक ऐसे मामले, जिनमें सारतः समरूप प्रश्न अन्तर्वलित हो, एक से तर्कों के साथ सम्मिलित रूप से सुने जाते हैं तो विधि अधिकारी एक मामले के रूप केवल एक ही फीस का हकदार होगा;

(घ) किसी उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने के सम्बन्ध में, मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति के दिनों के लिए,

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1977

सा०का०नि० 1358.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, संयुक्त निदेशक (परिवार नियोजन) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 9 के सम्मुख कालम 2 के अंतर्गत प्रविष्टि में "(परिवार नियोजन)" कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर "परिवार कल्याण" कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[संख्या 12019/7/77-बी (ए)]

एम०एल०टंडन, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 1977

G.S.R. 1358.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, against serial number 9, relating to the post of Joint Director (Family) Planning) in the entry in column 2, for the brackets and words "(Family Planning)" the brackets and words "(Family Welfare)" shall be substituted.

[No. 12019/7/77-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, 16 सितम्बर, 1977

सा०का०नि० 1359.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रेल चिकित्सा विभाग (सहायक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी II) भर्ती नियम, 1967 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये नियम भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम 16 अक्तूबर, 1976 से लागू समझे जायेंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान —उपर्युक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होगा ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –ऐसे पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य सम्बद्ध बातें वह होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट की जायेंगी ।

किन्तु शर्त यह है कि उल्लिखित अनुसूची के कालम 6 में विनिर्दिष्ट सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।

4. अनर्हता :—कोई व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो जिसकी पत्नी/जिसका पति, जीवित हो अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह किसी व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य कारण हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. रक्षा सेवा में सेवा करने का दायित्व—उल्लिखित पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति का, यदि अपेक्षित हो तो किसी रक्षा सेवा अथवा भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर, प्रशिक्षण पर लगाये गये समय, यदि कोई हो तो, उसके सहित चार वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए सेवा करने का दायित्व होगा किन्तु शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति के लिए—

(क) ऐसी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष बाद उपरोक्त प्रकार की सेवा करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(ख) पैंतालीस वर्ष की आयु हो जाने के बाद उपरोक्त प्रकार की सेवा करना साधारणतया अपेक्षित नहीं होगा ।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति —यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो वह किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को शिथिल कर सकती है ।

7. संगणनीय सेवा —जो व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत ऐसे पदों पर भर्ती किये जायं और जिन पर भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 2423-क (सा०का०नि० 404-ख) में निर्धारित शर्तें लागू होती हों, वे उक्त नियम के उपबन्धों के लाभ के पात्र होंगे ।

8. अपवाद —इन नियमों के उपबन्धों का इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।